

No.4-7/2024-Extn.
Government of India
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Department of Agriculture and Farmers Welfare

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated: 24th September 2025

VACANCY CIRCULAR

Subject: Filling up of two posts of Joint Director (Extension) & Joint Director (Farm Information), Group-A, Gazetted, Level-11 of the Pay Matrix in Directorate of Extension on deputation (including short term contract) basis under the Department of Agriculture & Farmers Welfare - reg.

The Department of Agriculture & Farmers' Welfare invites applications for filling up two posts of **Joint Director (Extension) and Joint Director (Farm Information), General Central Service, Group-'A', Gazetted, Non-Ministerial** in the Level-11 on deputation (Including Short Term Contract) basis in the Directorate of Extension, a subordinate office under the Department of Agriculture & Farmers' Welfare.

2. The details of the posts along with eligibility criteria, essential qualifications etc. required for each category of the posts are given in the enclosed **Annexures I & II**.

S. No.	Name of Post	No. of Posts	Pay Level (7 th CPC)
1.	Joint Director (Extension)	1	Level-11 (Rs. 67,700- 2,08,700/-)
2.	Joint Director (Farm Information)	1	Level-11 (Rs. 67,700- 2,08,700/-)

3. The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (ISTC). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

4. Applications of interested and eligible officers, who could be spared in the event of their selection, may be sent, through proper channel, in the enclosed Bio-Data/Curriculum Vitae Proforma (in Triplicate) along with the following documents:-

- (i) Cadre Clearance Certificate
- (ii) Vigilance Clearance
- (iii) Integrity Certificate signed by an officer not below the rank of Deputy Secretary/Director to the Government of India.
- (iv) Major/Minor Penalty Statement during last ten years
- (v) Photocopies of ACRs/APARs of last five years duly attested on each page by an officer not below the rank of an Under Secretary to the Government of India are also required to be sent along with the application. If for some reasons, the ACRs/APARs of the officer have not been written for a particular year or a part of a year, a 'No Report Certificate' (NRC) for the period may be sent along with the ACRs/APARs of the corresponding previous year (s).

5. The duly filled Bio-Data/Curriculum Vitae Proforma (**Annexure- III**) along with all the above-mentioned documents, should reach the "Under Secretary to the Govt. of India, Room No. 17, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi- 110001 within **60 days** from the date of publication of this advertisement in the Employment

News/Rojgar Samachar. While forwarding the applications the concerned department should verify and certify that the particulars furnished by the applicant are correct. The Certification shall be done by the Employer/Cadre controlling officer not below the rank of Deputy Secretary/Director to the Govt. of India at the last page No. 4 of Bio-data Proforma.

(Note: Applications in advance may be submitted directly so as to reach within the prescribed closing date. However, for such applications to be taken up for final consideration, the same must be forwarded through proper channel, duly verified and certified by the competent authority, so as to reach this Department by the date of the meeting of the designated Selection Committee.)

6. The Department reserves the right to determine the process of selection and shortlisting for filling up the vacancy and also reserves the right not to fill the post without assigning any reason.
7. Only shortlisted candidates will be invited for interview or further selection process. Mere fulfilling the minimum eligibility criteria shall not bestow any right on the applicants to be called for interview/personal interaction. The final selection will be based on assessment of bio-data particulars, grading of APARs/ACRs, and interview. Once selected, the candidate will not be allowed to withdraw their name at a later stage.
8. The appointment on deputation basis will be governed by the instructions issued by DoPT vide OM No. 6/8/2009-Estt.(Pay II) dated 17.06.2010, as amended from time to time.
9. Applications received after the last date or without the above-mentioned documents or otherwise found incomplete will not be considered.



(Kumar Sundaram)

Under Secretary to the Govt. of India

Tel.-23382013

E-mail: us.extension-agri@gov.in

Copy forwarded to:

1. All Ministries/Departments of the Central Government
2. Secretaries (Agriculture) of State Governments/UT Administrators.
3. Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi.
4. Department of Personnel & Training (Office of the Establishment Officer), North Block, New Delhi.
5. NIC, DOP&T, North Block, New Delhi, with the request to upload on their website.
6. All attached/subordinate offices under the Deptt. of Agriculture & Farmers Welfare.
7. All Vice-Chancellors of Agriculture Universities/Recognised Research Institutions.
8. The Chief Administrative Officer, Ministry of Defence (DH, PC), New Delhi.
9. All Officers in the Deptt. of Agriculture & Farmers Welfare. Applications may please be sent through the concerned Establishment Sections.
10. Director (Administration), Directorate of Extension, Pusa, New Delhi (for uploading on their website).
11. NIC, DA&FW (for uploading on the website of Department of Agriculture & Farmers Welfare).
12. Director General, MANAGE, Hyderabad (for uploading on their website)
13. Estt. I/II Sections.
14. Estt. III for notice board.
15. Guard File.



(Kumar Sundaram)

Under Secretary to the Govt. of India

Details of the post of Joint Director (Extension)

Annexure- I

S.No.	Particulars	Details
1.	Name of Post	Joint Director (Extension)
2.	Number of Post	01 (One)
3.	Pay Scale/Level	Level-11 (Rs. 67,700- 2,08,700/-) in Pay Matrix (7th CPC), General Central Service, Group-A, Gazetted, Non-Ministerial
4.	Office	Directorate of Extension (a subordinate office) under Department of Agriculture & Farmers' Welfare
5.	Method of Recruitment	Deputation (Including Short Term Contract)
6.	Eligibility	Officers under Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Semi-Government autonomous and State organizations or Agricultural Universities or Recognized Research Institutions or Councils :- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; OR (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-3 (Rs.15600-39100) + Grade Pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre or department;
7.	Essential Qualifications	(i) Master's Degree in Agriculture or Agriculture Extension from a recognized University or Institute or Master's Degree in Rural Management or Master of Business Administration with a Bachelor's degree in Agriculture from a recognized University or Institute or Master's Degree in Agriculture Business Management or Vegetable Sciences or Horticulture or Agro-Forestry, or Degree in Agriculture Engineering from a recognized University or Institute (ii) Three years' experience in coordination and overseeing or execution of Agricultural Extension or Extension Programme in the field of administration or Management of Agriculture or Extension Programme or teaching experience at college or university level in Agriculture or Extension Programme with special reference to training of extension personnel and farmers.
8.	Desirable Qualifications	(i) Three years' experience in formulation and conduct of extension training programmes.
9.	Period of Deputation	Ordinarily not exceeding 4 years (including short term contract).
10.	Maximum Age Limit	Not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
11.	Duties and Responsibilities	The Joint Director (Extension) will assist in the formulation and implementation of agricultural extension related projects throughout the country and to review and monitor implementation status of the Agricultural Extension Schemes like Extension Reforms, Agri-Clinics & Agri-Business Centres, Agricultural Extension through Mass Media, Kisan Call Centres, Training Programmes through National, Regional & State Level institutions-through Review Meeting, Field Visits, Reports from Stakeholders etc.

Details of the post of Joint Director (Farm Information)

Annexure- II

Sl. No.	Particulars	Details
1.	Name of Post	Joint Director (Farm Information)
2.	Number of Post	01 (One)
3.	Pay Scale/Level	Level-11 (Rs. 67,700- 2,08,700/-) in Pay Matrix (7th CPC), General Central Service, Group-A, Gazetted, Non-Ministerial
4.	Office	Directorate of Extension (a subordinate office) under Department of Agriculture & Farmers' Welfare
5.	Method of Recruitment	Deputation (Including Short Term Contract)
6.	Eligibility	Officers under Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or Recognized Research Institutions or Councils or Semi-Government or Autonomous or Statutory Organisations:- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; OR (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-3 (Rs.15600-39100) + Grade Pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre or department; OR (iii) with seven years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-2 (Rs.9300-34800) + Grade Pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department
7.	Essential Qualifications	(i) Master's degree in Agriculture or Agricultural Extension from a recognized University/Institute. (ii) 5 years' experience in Agricultural Extension including Farm Communication.
8.	Desirable Qualifications	(i) Degree or Diploma in Journalism or Mass Communication from a recognized University. (ii) Experience of handling work relating to agricultural information, mass media, farm extension literature, agricultural exhibitions, production of audio-visual materials relating to topics on agriculture & agricultural films.
9.	Period of Deputation	Ordinarily not exceeding 4 years (including short term contract).
10.	Maximum Age Limit	Not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
11.	Duties and Responsibilities	The Joint Director (Farm Information) will assist the Director (Farm Information) and the Farm Information Unit of Directorate of Extension in planning, programming and execution of national-level agricultural communication and extension activities, including exhibitions, media workshops, production of audio-visual materials, and preparation of publications to support technology transfer.

Name of the post applied for

1.Name and Address (in Block Letters), Telephone No., E-mail Id		
2.Date of Birth (in Christian era)		
3.i) Date of entry into service		
ii) Date of retirement under Central/State Government Rules		
4.Educational Qualifications		
5.Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied. (If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same)		
Qualification/Experience required as mentioned in the advertisement/vacancy circular		Qualification/experience possessed by the officer
Essential		Essential
A) Qualification		A) Qualification
B) Experience		B) Experience
Desirable		Desirable
A) Qualification		A) Qualification
B) Experience		B) Experience
5.1 Note: This column needs to be amplified to indicate Essential and Desirable Qualifications as mentioned in the RRs by the Administrative Ministry/Department/Office at the time of issue of Circular and issue of Advertisement in the Employment News.		
5.2 In the case of Degree and Post Graduate Qualifications Elective/main subject and subsidiary subjects may be indicated by the candidate.		
6.Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requisite Essential Qualifications and work experience of the post.		
6.1 Note: Borrowing Departments are to provide their specific comments/views confirming the relevant Essential Qualification/Work experience possessed by the Candidate (as indicated in the Bio-data) with reference to the post applied.		

7. Details of Employment, in chronological order. **Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.**

Office/Institution	Post held on regular basis	From	To	*Pay Band and Grade Pay/Pay Scale of the post held on regular basis	Nature of Duties (in detail) highlighting experiences required for the post applied for

***Important:** Pay Level/ Pay Scale/ Pay Matrix Level granted under ACP/MACP are personal to the officer and therefore, should not be mentioned. Only Pay Level/ Pay Scale/ Pay Matrix Level of the post held on regular basis to be mentioned. Details of ACP/MACP with present Pay Band and Grade Pay where such benefits have been drawn by the Candidate, may be indicated as below:

Office/Institution	Pay Level/ Pay Scale/ Pay Matrix Level drawn under ACP/MACP Scheme	From	To

--	--	--	--

8. Nature of present employment i.e. Adhoc or Temporary or Quasi-Permanent or Permanent			
9. In case the present employment is held on deputation/contract basis, please state-			
a) The date of initial appointment	b) Period of appointment on deputation/contract	c) Name of the parent office/organization to which the applicant belongs.	d) Name of the post and pay of the post held in substantive capacity in the parent organization
9.1 Note: In case of officers already on deputation, the application of such officers should be forwarded by the parent cadre/Department along with Cadre Clearance, Vigilance Clearance and Integrity Certificate.			
9.2 Note: Information under Column 9(c) & (d) above must be given in all cases where a person is holding a post on deputation outside the cadre/organization but still maintaining a lien in his parent cadre/organization			
10. If any post held on Deputation in the past by the applicant, date of return from the last deputation and other details.			
11. Additional details about present employment: Please state whether working under (Indicate the name of your employer against the relevant column) a) Central Government b) State Government c) Autonomous Organization d) Government Undertaking e) Universities f) Others			
12. Please state whether you are working in the same department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade			
13. Are you in Revised Scale of Pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale			
14. Total emoluments per month now drawn			
Pay Level/ Pay Scale/ Pay Matrix			Total Emoluments

15. In case the applicant belongs to an Organization which is not following the Central Government Pay-Scales, the latest salary slip issued by the Organization showing the following details may be enclosed/		
Basic Pay with Scale of Pay and rate of increment	Dearness Pay/ interim relief/ other allowances etc., (with break-up details)	Total Emoluments
16.A Additional information , if any, relevant to the post you applied for in support of your suitability for the post. (This among other things may provide information with regard to (i) additional academic qualifications (ii) professional training and (iii) work experience over and above prescribed in the Vacancy Circular/Advertisement) (Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient)		
16.B Achievements: The candidates are requested to indicate information with regard to: (i) Research publications and reports and special projects (ii) Awards/Scholarships/Official Appreciation (iii) Affiliation with the professional bodies/institutions/societies and; (iv) Patents registered in own name or achieved for the organization (v) Any research/innovation measure involving official recognition (vi) Any other information (Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)		
17. Please state whether you are applying for deputation/Absorption/Reemployment Basis.# (Only officers under Central Government are eligible for "Absorption"/Re-employment).		
# (The option of 'Absorption'/'Re-employment' are available only if the vacancy circular specially mentioned recruitment by "Absorption" or "Reemployment").		
18. Whether belongs to SC/ST		

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the information furnished in the curriculum Vitae duly supported by the documents in respect of Essential Qualification/Work Experience submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information/details provided by me are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having a bearing on my selection has been suppressed/withheld.

(Signature of the Candidate)

Date

Address

Certification by the Employer/ Cadre Controlling Authority

The information /details provided in the above application by the applicant are true and correct as per the facts available on records. He/she possess educational qualifications and experience mentioned in the vacancy circular. If selected, he/she will be relieved immediately.

2. Also certified that: -

- i. There is no vigilance or disciplinary case pending / contemplated against Shri/Smt.....
- ii. His /Her integrity is certified.
- iii. His/ Her CR Dossier in original is enclosed/photocopies of the ACRs for the last 5 years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary or the Government of India or above are enclosed.
- iv. No major/minor penalty has been imposed on him/her during the last 10 years or a list of major/minor penalties imposed on him/her during the last 10 years is enclosed. (as the case may be)

Countersigned

(Employer/Cadre Controlling Authority with Seal)

सं. 4-07/2024-विस्तार

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 24 सितम्बर 2025

रिक्ति परिपत्र

विषय: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधीनस्थ कार्यालय – विस्तार निदेशालय में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) के आधार पर संयुक्त निदेशक (विस्तार) एवं संयुक्त निदेशक (कृषि सूचना), समूह 'क', राजपत्रित, वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 के दो पदों को भरने के संबंध में।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालय, विस्तार निदेशालय में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) के आधार पर, सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, गैर -अनुसचिवीय, स्तर-11 में — संयुक्त निदेशक (विस्तार) एवं संयुक्त निदेशक (कृषि सूचना) — के दो पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

2. पदों का विवरण, पात्रता मानदंड, आवश्यक योग्यता आदि की जानकारी संलग्न अनुबंध -I एवं अनुबंध -II में दी गई है।

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन स्तर (7 वां वेतन आयोग)
1.	संयुक्त निदेशक (विस्तार)	1	लेवल- 11(रु. 67,700- 2,08,700/-)
2.	संयुक्त निदेशक (कृषि जानकारी)	1	लेवल- 11(रु. 67,700- 2,08,700/-)

3. मूल श्रेणी (फीडर ग्रेड) के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आने वाले व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

4. इच्छुक एवं पात्र अधिकारी, जिन्हें चयन की स्थिति में उनके विभाग से मुक्त किया जा सके, अपना आवेदन विधिवत प्रपत्र जीवन वृत्त प्रपत्र(बायोडाटा/करिकुलम विटे प्रोफॉर्मा) (तीन प्रति में) में, निम्नलिखित दस्तावेजों सहित उचित माध्यम से भेज सकते हैं :-

- कैडर क्लियरेंस प्रमाण पत्र।
- सतर्कता निकासी।
- सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र जो कम से कम भारत सरकार के उप सचिव / निदेशक के पद के स्तर के अधिकारी से हस्ताक्षरित हो।
- पिछले दस वर्षों के दौरान बड़ी/छोटी शास्ति का विवरण।
- पिछले पांच वर्षों की एसीआर/एपीएआर रिपोर्ट की छाया प्रतियां, जिसका प्रत्येक पृष्ठ ऐसे अधिकारी से सत्यापित होना चाहिए, जो कम से कम भारत सरकार के

अवर सचिव के स्तर का हो, भेजा जाना आवश्यक है। यदि किसी कारण से किसी अधिकारी की किसी विशिष्ट वर्ष अथवा वर्ष की कुछ अवधि की एसीआर/एपीएआर नहीं लिखी गई है तो पिछले वर्ष की संगत अवधि की एसीआर/एपीएआर के साथ उस अवधि के लिए 'नो रिपोर्ट सर्टिफिकेट (एनआरसी)' संलग्न करें।

5. उपरोक्त सभी दस्तावेजों के साथ संलग्न प्रोफार्मा में आवेदन (तीन प्रतियों में), इस विज्ञापन के एम्प्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिन के अंदर 'अवर सचिव, भारत सरकार, कमरा संख्या 17, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली- 110001 को अग्रेषित किए जाएं'। आवेदन अग्रेषित करते समय संबंधित विभाग को यह सत्यापित तथा प्रमाणित करना होगा कि आवेदकों द्वारा प्रदत्त विवरण सही है। जीवन वृत्त प्रपत्र (बायोडाटा/करिकुलम विटे प्रोफॉर्मा) के अंतिम पृष्ठ संख्या पाँच पर ये प्रमाणीकरण, ऐसे नियोक्ता या कैडर नियंत्रक अधिकारी द्वारा होना चाहिए जो कम से कम भारत सरकार के उप सचिव / निदेशक की रैंक के स्तर का हो।

(नोट: पूर्व में भेजे जाने वाले आवेदन सीधे प्रस्तुत किए जा सकते हैं ताकि वे निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त हो जाएं। तथापि, ऐसे आवेदनों पर अंतिम विचार करने हेतु, उन्हें सम्बंधित प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित एवं प्रमाणित कर उचित माध्यम से अग्रेषित किया जाना आवश्यक है, ताकि आवेदन इस विभाग को नामित चयन समिति की बैठक की तिथि तक प्राप्त हो जाएं।)

6. विभाग के पास चयन प्रक्रिया व शॉर्टलिस्टिंग की पद्धति तय करने तथा बिना कारण बताए पद को न भरने का भी अधिकार सुरक्षित है।

7. केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार अथवा आगे की चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किया जाएगा। केवल न्यूनतम अर्हता मानदंडों की पूर्ति मात्र से ही आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम चयन, बायो-डेटा विवरण, एपीएआर/एसीआर की ग्रेडिंग व साक्षात्कार के आकलन के आधार पर किया जाएगा। चयनित होने वाले उम्मीदवार को बाद में अपना नाम वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

8. प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाने वाली नियुक्ति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी दिनांक 17.06.2010 कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-Estt.(Pay II) के अनुसार शासित होगी, जिसका समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

9. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों को, या उपर्युक्त उल्लिखित दस्तावेजों के बिना प्राप्त होने वाले आवेदनों को, अथवा अन्यथा अधूरे आवेदनों को विचार हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा।



(कुमार सुन्दरम)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन: 23382013

ई-मेल: us.extension-agri@gov.in

प्रति प्रेषित:

- (i) केन्द्र सरकार के समस्त मंत्रालय/ विभाग ।
- (ii) राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र के सचिव (कृषि)।
- (iii) सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
- (iv) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
- (v) एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, को अपनी वेबसाइट में अपलोड करने के अनुरोध के साथ ।
- (vi) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
- (vii) कृषि विश्वविद्यालयों मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के /सभी कुलपति ।
- (viii) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय(डीएच,पीसी), नई दिल्ली ।
- (ix) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सभी अधिकारी । आवेदन पत्र संबंधित स्थापना अनुभागों के माध्यम से भेजें ।
- (x) निदेशक (प्रशासन), विस्तार निदेशालय, पूसा, नई दिल्ली (अपनी वेबसाइट में अपलोड करने के लिए) ।
- (xi) एनआईसी (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए)।
- (xii) महानिदेशक, मैनेज, हैदराबाद (अपनी वेबसाइट में अपलोड करने के लिए)
- (xiii) स्थापना- I/II अनुभाग।
- (xiv) स्थापना-III नोटिस बोर्ड के लिए ।
- (xv) गार्ड फाईल ।



(कुमार सुन्दरम)

अवर सचिव, भारत सरकार

संयुक्त निदेशक (विस्तार) के पद का विवरण

क्र.सं.	विवरण	जानकारी
1	पद का नाम	संयुक्त निदेशक (विस्तार)
2	पदों की संख्या	01 (एक)
3	वेतनमान/स्तर	वेतन मैट्रिक्स (7वाँ वेतन आयोग) का स्तर-11 (₹ 67,700 – 2,08,700/-), सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, गैर -अनुसचिवीय
4	कार्यालय	विस्तार निदेशालय (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का अधीनस्थ कार्यालय)
5	भर्ती की विधि	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)
6	पात्रता	केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/अर्ध-सरकारी स्वायत्त संस्थाओं/कृषि विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/परिषदों के अधिकारी, जो – (i) मूल संवर्ग या विभाग में समान पद पर नियमित रूप से कार्यरत हों; या (ii) वेतन बैंड-3 (₹ 15600-39100) + ग्रेड पे ₹ 5400 अथवा समकक्ष पद पर कम से कम 05 वर्षों की नियमित सेवा रखते हों।
7	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	(i) कृषि या कृषि विस्तार में स्नातकोत्तर डिग्री या ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री या कृषि में स्नातक डिग्री के साथ एमबीए या कृषि व्यवसाय प्रबंधन/उद्यान विज्ञान/कृषि वानिकी में स्नातकोत्तर डिग्री या कृषि अभियांत्रिकी में डिग्री। (ii) कृषि विस्तार या विस्तार कार्यक्रम के समन्वय/निगरानी या कार्यान्वयन में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव या कृषि/विस्तार कार्यक्रमों के प्रशासन/प्रबंधन या महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण का अनुभव, विशेष रूप से विस्तार कर्मियों एवं किसानों के प्रशिक्षण से संबंधित।
8	वांछनीय योग्यता	विस्तार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने एवं संचालन में 03 वर्षों का अनुभव।
9	प्रतिनियुक्ति की अवधि	सामान्यतः 04 वर्ष से अधिक नहीं (लघु अवधि अनुबंध सहित)।
10	अधिकतम आयु सीमा	आवेदन की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं।
11	कर्तव्य एवं जिम्मेदारियाँ	संयुक्त निदेशक (विस्तार) देशभर में कृषि विस्तार से संबंधित परियोजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन में निदेशक की सहायता करेंगे तथा विस्तार सुधार, एग्रो-क्लिनिक एवं एग्रो-बिजनेस सेंटर, जनसंचार माध्यम से कृषि विस्तार, किसान कॉल सेंटर, राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि की समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय यात्राओं एवं हितधारकों से प्राप्त रिपोर्टों के माध्यम से निगरानी करेंगे।

संयुक्त निदेशक (कृषि सूचना) के पद का विवरण

क्र.सं.	विवरण	जानकारी
1	पद का नाम	संयुक्त निदेशक (कृषि सूचना)
2	पदों की संख्या	01 (एक)
3	वेतनमान/स्तर	वेतन मैट्रिक्स (7वाँ वेतन आयोग) का स्तर-11 (₹ 67,700 – 2,08,700/-), सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, गैर -अनुसचिवीय
4	कार्यालय	विस्तार निदेशालय (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का अधीनस्थ कार्यालय)
5	भर्ती की विधि	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)
6	पात्रता	केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों/सार्वजनिक उपक्रमों/कृषि विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/परिषदों/अर्ध-सरकारी, स्वायत्त या वैधानिक संस्थाओं के अधिकारी, जो – (i) मूल संवर्ग या विभाग में समान पद पर नियमित रूप से कार्यरत हों; या (ii) वेतन बैंड-3 (₹ 15600-39100) + ग्रेड पे ₹ 5400 पर कम से कम 05 वर्षों की नियमित सेवा रखते हों; या (iii) वेतन बैंड-2 (₹ 9300-34800) + ग्रेड पे ₹ 4600 पर कम से कम 07 वर्षों की नियमित सेवा रखते हों।
7	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	(i) कृषि या कृषि विस्तार में स्नातकोत्तर डिग्री तथा कृषि विस्तार (ii) कृषि संचार में कम से कम 05 वर्षों का अनुभव।
8	वांछनीय योग्यता	(i) पत्रकारिता या जनसंचार में डिग्री या डिप्लोमा। (ii) कृषि सूचना, जनसंचार, कृषि साहित्य, कृषि प्रदर्शनियों, ऑडियो-विज्ञुअल सामग्री एवं कृषि फिल्मों के निर्माण से संबंधित कार्य का अनुभव।
9	प्रतिनियुक्ति की अवधि	सामान्यतः 04 वर्ष से अधिक नहीं (लघु अवधि अनुबंध सहित)।
10	अधिकतम आयु सीमा	आवेदन की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं।
11	कर्तव्य एवं जिम्मेदारियाँ	संयुक्त निदेशक (कृषि सूचना), निदेशक (कृषि सूचना) एवं कृषि सूचना प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय स्तर की कृषि संचार एवं विस्तार गतिविधियों की योजना, कार्यक्रम निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहायता करेंगे। इनमें प्रदर्शनियाँ, मीडिया कार्यशालाएँ, ऑडियो-विज्ञुअल सामग्री निर्माण, तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु प्रकाशनों की तैयारी शामिल है।



जीवन वृत्त प्रपत्र

जिस पद के लिए आवेदन किया गया है उसका नाम:

1. नाम व पद व टेलीफोन नं स्पष्ट अक्षरों में : ईमेल आईडी	
2. जन्म तिथि (ईस्वी सन में):	
3. // सेवा में आने की तिथि	
// केन्द्र/राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख:	
4. शैक्षणिक अर्हताएं:	
5. क्या उक्त पद में लिए अपेक्षित शैक्षिक व अन्य अर्हताएं संतोषजनक है (यदि किसी अर्हता को नियमों में निर्धारित किसी योग्यता के समकक्ष माना गया है तो इसके लिए प्राधिकारी को विवरण दें)	
विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र के किए गए उल्लेख के अनुसार अपेक्षित अर्हताएं/अनुभव	अधिकारी द्वारा धारित अर्हता/अनुभव
अनिवार्य:	अनिवार्य:
(क) अर्हता अनुभव	(ख) (क) अर्हता (ख) अनुभव
वांछनीय:	वांछनीय:
(क) अर्हता	(क) अर्हता
(ख) अनुभव	(ख) अनुभव

5.1 टिप्पणी : इस कॉलम को रोजगार समाचार में परिपत्र में जारी करने और विज्ञापन में जारी करते समय प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा आर आर में किए गए उल्लेख के अनुसार अनिवार्य और वांछित अर्हताओं में सुधार की आवश्यकता है ।
5.2 डिग्री और स्नातकोत्तर अर्हताओं में उम्मीदवार के द्वारा वैकल्पिक/ मुख्य विषय तथा सहायक विषय के बारे में बताया जाए

6. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि आपके द्वारा दी गई उक्त प्रविष्टियों के संदर्भ में क्या आप पद के लिए निर्धारित अनिवार्य तथा कार्य अनुभव योग्यता को पूरा करते हैं ।
6.1 उम्मीदवार द्वारा धारित अनिवार्य अर्हताओं/कार्य के अनुभव के संबंध में पुष्टि करते हुए उद्यत विभाग आवेदित पद के संदर्भ में अपनी विशेष टिप्पणी/राय दें। (जैसा कि बायो -डाटा में उल्लेख किया गया है।)

7. काल क्रमानुसार रोजगार का विवरण, यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो अपने हस्ताक्षर से यथा अधिप्रमाणित एक पृथक शीट संलग्न करें :-

कार्यालय/संस्थान	नियमित आधार पर धारित पद	से	तक	नियमित आधार पर धारित पद का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	आवेदित पर के लिए अपेक्षित कार्य का स्वरूप अपेक्षित अनुभव को दर्शाते हुए

महत्वपूर्ण : एसीपी/एमएसीपी के तहत दिया गया वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अधिकारी का व्यक्तिगत मामला है अतः इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। केवल नियमित आधार पर धारित पद का वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान का ही उल्लेख किया जाए। वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन जहां उम्मीदवार द्वारा लाभ लिया गया है, के साथ एसीपी/एमएसीपी का ब्यौरा निम्न अनुसार दर्शाएं।

कार्यालय/संस्थान	ए.सी.पी./ एम.ए.सी.पी.के आधार पर धारित पद का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	से	तक

8. वर्तमान रोजगार का स्वरूप अर्थात् तदर्थ या अस्थाई या अर्धस्थायी या स्थायी:	
9. यदि मौजूदा रोजगार प्रतिनियुक्ति /संविदा के आधार पर धारित हो तो उल्लेख कीजिए:	

(क) आरंभिक नियुक्ति की तिथि:	(ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि:	(ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे आप संबंधित हैं:	(घ) पैतृक संगठन में नियमित आधार पर धारित पद का नाम तथा वेतन

9.1 टिप्पणी : यदि अधिकारी पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर हैं तो ऐसे अधिकार का आवेदन मूल संवर्ग/विभाग द्वारा संवर्ग की अनापत्ति, सतर्कता निकासी और सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र सहित भेजा जाना चाहिए।

9.2 टिप्पणी : उपर्युक्त कॉलम 9 (ग) और (घ) के अन्तर्गत उनके मूल कैडर/संगठन के अधिकार में रखते हुए कैडर/संगठन के बाहर प्रतिनियुक्ति पर पद धारित करने वाले व्यक्ति के सभी मामलों में सूचना दी जानी चाहिए।

10. यदि आवेदक द्वारा विगत में प्रतिनियुक्ति पर कोई पद धारित किया गया हो तो पिछली प्रतिनियुक्ति से लौटने की तिथि तथा अन्य वितरण।	
---	--

11. वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण। कृपया उल्लेख करें कि क्या निम्नलिखित के तहत कार्य कर रहे हैं :- (क) केन्द्र सरकार (ख) राज्य सरकार (ग) स्वायत्तशासी संगठन (घ) सरकारी उपक्रम (ङ) विश्वविद्यालय (च) अन्य	
--	--

12. कृपया बताएं कि क्या आप उसी विभाग में कार्यरत हैं और सम्पोषक श्रेणी में हैं या सम्पोषक श्रेणी के सम्पोषन में हैं।	
--	--

13. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हां तो वह तारीख बताएं जब से संशोधन हुआ और संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें।	
--	--

14. इस समय आहरित की जा रही प्रतिमास कुल परिलिब्धियां:	
---	--

वेतन बैंड में मूल वेतन	ग्रेड वेतन	कुल परिलिब्धियां

15. यदि आवेदक किसी संगठन से सम्बंधित है जो केन्द्र सरकार के वेतनमान का अनुपालन नहीं करता है तो संगठन द्वारा जारी की गई अद्यतन वेतन पर्ची जमा कराए जिसमें निम्नलिखित ब्यौरा दिया गया हो।	
---	--

वेतनमान और वेतन वृद्धि दर के साथ मूल वेतन	मंहगाई भत्ता/अंतरिम राहत/ अन्य भत्ते (पूरे ब्यौरे के साथ) आदि	कुल परिलिब्धियां

16- क. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो जिसे पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहेंगे इसमें (1) अतिरिक्त शैक्षणिक अर्हता	
---	--

<p>(II) व्यवसायिक प्रशिक्षण और (III) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में निर्धारित कार्य अनुभव के बारे में सूचना प्रदान करें (नोट: यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग शीट संलग्न कर सकते हैं।)</p>	
<p>16 (ख). उपलब्धियां: उम्मीदवार निम्नलिखित के संबंध में सूचना दर्शाए: (I) अनुसंधान प्रकाशन और रिपोर्ट और विशेष परियोजना। (II) पुरस्कारों/छात्रवृत्तियों/ सरकारी प्रशस्तिपत्र (III) व्यवसायिक निकायों/संस्थानों/सोसाइटी के साथ संबंध; (IV) अपने नाम से या संगठन के लिए प्राप्त पंजीकृत पेटेंट (V) सहकारी मान्यता को शामिल करते हुए कोई अनुसंधान/नवीन उपाय (VI) कोई अन्य सूचना (नोट: यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग शीट संलग्न कर सकते हैं।)</p>	
<p>17. कृपया उल्लेख करें क्या आप प्रतिनियुक्त (आईएसटीसी) आममेलन के लिए आवेदन कर रहे हैं? (केंद्र/राज्य सरकारों के अंतर्गत अधिकारी ही आममेलन के लिए पात्र है। गैर सरकारी संगठनों के उम्मीदवार अल्पावधि संविदा के पात्र है)</p>	

#(एसटीसी/आम्मेलन/पुनर्नियोजन का विकल्प उपलब्ध है यदि केवल रिक्ति परिपत्र में विशेष रूप से एसटीसी अथा आममेलन या पुनर्नियोजन द्वारा रिक्ति का उल्लेख किया गया हो) "

<p>18. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से हैं</p>	
---	--

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और मैं इस बात से अच्छी प्रकार से अवगत हूँ कि इस पद पर चयन के समय पर मेरे द्वारा प्रस्तुत अनिवार्य अर्हता/कार्य अनुभव से संबंधित दस्तावेजों से समर्थित जीवनवृत्त में प्रस्तुत सूचना चयन समिति द्वारा आकलित किया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई सूचना/बयौरा सत्य है और मेरी जानकारी में सत्य है मेरे चयन पर कोई भी सत्य न ही छुपाया गया है और न ही रोका गया है।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पता.....

नियोक्ता/कैडर नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा प्रमाणन

आवेदकों द्वारा प्रदत्त सूचना विवरण सही है और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्य सही हैं। वह रिक्ति परिपत्र में उल्लेख किए गए शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते है यदि चयन होता है तो उन्हें तत्काल छोड़ा जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:

- (i) श्री/श्रीमती के विरुद्ध कोई सतर्कता अथवा अनुशासनिक मामला लम्बित/विचारधीन नहीं है।
- (ii) उनका/उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।
- (iii) उनका/उनकी सीआर डोजियर मूल में संलग्न है/भारत सरकार के अवर सचिव अथवा उपर रैंक के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पिछले 5 वर्ष के एसीआर की छाया प्रति संलग्न है।
- (iv) पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर कोई बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लगाई गई है अथवा पिछले 10 वर्षों के दौरान उनपर लगाई गई छोटी/बड़ी शास्ति की सूची संलग्न है। (जैसा भी मामला हो)

प्रतिहस्ताक्षर

(नियोक्ता /कैडर नियंत्रण प्राधिकारी, मोहर सहित)